राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांकः— 21-10-19

—:परिपत्रः—

विधि एवं विधिक कार्य विभाग के द्वारा राजकीय वादकरण के प्रभावी पैरवी/संचालन के लिये समय—समय पर विभिन्न परिपत्र जारी कर निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त निर्देशों के उपरांत भी यह ध्यान में लाया गया है कि उक्त परिपत्रों की समुचित पालना नहीं की जा रही है। अतः पुनः परिपत्र जारी कर इस संबंध में तत्काल निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः—

1. **वादकरण नीति 2018 के अनुसार नोडल अधिकारी की नियुक्तिः—** विधि एवं विधिक कार्य विभाग की राज्य वादकरण नीति 2018 के अध्याय 6 के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा की गयी थी। जिन विभागों के द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं, वे अपने विभाग के नोडल अधिकारी की सूचना महाधिवक्ता कार्यालय, प्रशासनिक विभाग को आंवटित अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं अधिवक्ता को उपलब्ध कराते हुये विधि विभाग को उपलब्ध करावें। यदि अभी तक नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है तो तत्काल नियुक्ति की जाकर सूचना उक्तानुसार उपलब्ध करायी जावें।
2. **पत्रावलियों का स्थानान्तरण :—** नवनियुक्त महाधिवक्ता, अतिरक्त महाधिवक्तागण एवं राजकीय अधिवक्तागण के पास जिन प्रकरणों की पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं है उन प्रकरणों की पत्रावलियाँ अविलम्ब प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचित किया जावे।
3. **लंबित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराया जाना :—** प्रशासनिक विभाग के लंबित प्रकरणों की अद्यतन सूची मय वर्तमान स्थिति के नवनियुक्त महाधिवक्ता, अतिरक्त महाधिवक्तागण एवं संबंधित राजकीय अधिवक्तागण को अविलम्ब उपलब्ध करायी जावे।
4. **जवाब दावों का प्रस्तुतीकरण :—** लंबित प्रकरणों में जवाब दावा समय सीमा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं जहाँ माननीय न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के विधि अधिकारी को नोटिस देकर तत्काल जवाब की अपेक्षा की जाती है वहां विभागीय नोडल अधिकारी विहित समय सीमा में संबंधित विधि अधिकारी को तथ्यात्मक रिर्पोट एवं आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. **सम—विषम प्रक्रिया अनुसार प्रकरणों में अधिवक्ता की नियुक्ति की पालना :—**विभागीय अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं राजकीय अधिवक्तागण को सम—विषम रूप से आंवटित किये जाने वाले प्रकरणों की सूचना विधि विभाग को त्रैमासिक रूप से उपलब्ध करायी जावे।

6. **लाईटस सॉफ्टवेयर पर प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन :–** लाईटस सॉफ्टवेयर पर प्रकरणों की नियमित रूप से एन्ट्री व अपडेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे तथा वाद प्रभारी अधिकारी व अधिवक्ताओं की नियुक्ति लाईटस सॉफ्टवेयर से की जावे।
7. **निर्णित प्रकरणों का अपडेशन :–** लाईटस सॉफ्टवेयर पर निर्णित प्रकरणों का नियमित अपडेशन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. **प्रथम तारीख पर निर्णित प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन :–** प्रथम तारीख पेशी पर माननीय न्यायालय के द्वारा विभागीय अधिवक्ता को सुन कर निर्णित किये गये प्रकरणों की लाईटस सॉफ्टवेयर पर एन्ट्री व अपडेशन किया जावे।
9. **लाईटस सॉफ्टवेयर में अधिवक्ता के नाम की गलत एन्ट्री व दुरस्तीकरण :–** सभी लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाकर उक्त प्रकरणों में वर्तमान में नियुक्त वाद प्रभारी अधिकारी एवं अधिवक्ता के नाम का अपडेशन लाईटस सॉफ्टवेयर पर किया जावे एवं जिन प्रकरणों में नियुक्त अधिवक्ता से भिन्न किसी अन्य अधिवक्ता का नाम दर्ज है तो उसे अविलम्ब दुरूस्त किया जावे एवं उक्त व्यवस्था की सतत् समीक्षा की जावे ताकि अधिवक्तागणों को अपने फीस बिलों को लाईटस सॉफ्टवेयर पर तैयार करने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पडे।
10. **विशेष फीस के प्रकरणों में नियुक्ति :–** जो प्रकरण विधि विभाग के आदेश दिनांक 24.02.2015 से शासित होते हैं ऐसे प्रकरणों में विधि विभाग से पृथक से नियुक्ति एवं पैरवी निर्देश जारी कराये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। विधि विभाग के यथा संशोधित आदेश दिनांक 26.10.2010 के खण्ड सी के स्लेब 1, 2 व 3 में उल्लेखित मानदडों के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में महाधिवक्ता महोदय या अतिरिक्त महाधिवक्तागण की प्रथम नियुक्ति के समय ही प्रशासनिक विभाग के द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर अनुशंसा सहित विहित प्रारूप में महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्तागणों के विशेष फीस पर नियुक्ति के प्रस्ताव विधि विभाग को भेजे जाने चाहिये एवं विभागाध्यक्ष / अतिरिक्त महाधिवक्तागण / वाद प्रभारी अधिकारी के द्वारा सीधे ही विधि विभाग से विशेष फीस पर नियुक्ति के लिये पत्राचार नहीं किया जावें।
11. **मुख्य पक्षकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जावें :–** जिन प्रकरणों में एक से अधिक विभाग पक्षकार होने की स्थिति में मुख्य पक्षकार विभाग के द्वारा ही वाद प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर जवाब प्रस्तुत किया जावें एवं औपचारिक पक्षकार विभाग के द्वारा अतिरिक्ति प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर मुख्य पक्षकार विभाग के वाद प्रभारी अधिकारी को तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाकर जवाब में तथ्य समाहित करवाये जाने चाहिये।

12. **राज्य पक्ष में निर्णित प्रकरणों में विधि अधिकारियों से राय की अपेक्षा नहीं की जावेः–** जिन प्रकरणों में निर्णय राज्य सरकार के पक्ष में हुआ है एवं निर्णय की कोई पालना अपेक्षित नहीं है ऐसे मामलों में पैरवीरत अधिवक्ताओं से अनावशयक रूप से राय की अपेक्षा नहीं की जावे।

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव,विधि

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैंः–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/राजस्थान जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर ।
7. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता / वरिष्ठ अधिवक्ता/ पैनल अधिवक्ता /,एडवोकेट ऑन रिकार्डस राजस्थान सरकार,उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
8. राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर।
9. शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग,शासन सचिवालय जयपुर को लाईटस सॉफ्टवेयर से संबंधित बिन्दुओं की प्रभावी मॉनेटरिंग हेतु प्रेषित है।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
11. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग जयपुर।
12. प्रशासक वादकरण राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/ पीठ जयपुर
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
16. रक्षित पत्रावली।

21/10/19

(जगमोहन शर्मा)
शासन विशिष्ट सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग